BHADOHI POLICE

प्रेस-नोट

सराहनीय कार्य, जनपद भदोही **दिनांक-03.02.2025**

◆गांजा बिक्री के अवैध कारोबार में लिप्त गिरोह का वांछित अभियुक्त चढ़ा पुलिस के हत्थे

◆पूर्व में गिरोह के एक अभियुक्त को गिरफ्तार कर, कब्जे से प्लास्टिक के झोले में 01 किलो 244 ग्राम नाजायज गांजा किया गया था बरामद

◆पुड़िया बनाकर इधर-उधर घुम कर गांजा बिक्री करने का करते थे अपराध

श्री अभिमन्यु मांगलिक, पुलिस अधीक्षक भदोही के कुशल निर्देशन में जनपद में मादक पदार्थों की तस्करी/बिक्री के पूर्णतया रोकथाम एवं अवैध कारोबार में लिप्त मादक कारोबारी/तस्करों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही हेतु चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत आज दिनांक-03.02.2025 को थाना चौरी पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान मुखबिरी सूचना के आधार पर ग्राम दुरासी नहर पुलिया के पास से गांजा बिक्री के अवैध कारोबार में लिप्त गिरोह के वांछित अभियुक्त पवन कुमार मिश्रा उर्फ गुड्डू मिश्रा पुत्र दीनानाथ उर्फ अवध नारायण मिश्रा निवासी रामपुर जगरनाथपुर थाना चौरी जनपद भदोही उम्र करीब 36 वर्ष को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त हुई है। गिरफ्तारशुदा अभियुक्त का विधिक कार्यवाही के उपरांत चालान मा0 न्यायालय किया गया।

पूर्व में गिरोह में शामिल एक अन्य अभियुक्त घनश्याम पटेल को गिरफ्तार कर कब्जे से प्लास्टिक के झोला में 01 किलो 244 ग्राम नाजायज गांजा बरामद किया गया था। उक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर अभियुक्तों के विरुद्ध मु0अ0सं0-113/2024 धारा-8/20/27क/29 एनडीपीएस एक्ट का अभियोग पंजीकृत किया गया है।

गिरफ्तारशुदा अभियुक्त का नाम व पता

पवन कुमार मिश्रा उर्फ गुड्डू मिश्रा पुत्र दीनानाथ उर्फ अवध नारायण मिश्रा निवासी रामपुर जगरनाथपुर थाना चौरी जनपद भदोही उम्र करीब 36 वर्ष

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम-

उ0नि0 रमेश कुमार,थानाध्यक्ष चौरी, उ0नि0 रामसमुझ यादव, उ0नि0 शिवकुमार यादव, आरक्षी अनुज कुमार, आरक्षी सुजीत कुमार व आरक्षी राजकुमार भारती थाना चौरी जनपद भदोही